FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 25

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (अलवर)

किशन कुमार वगैराह बनाम विनोद कुमार वगैराह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज मु॰ नं॰ 87/2023	न. या ता. अहकाम जो जारी हुआ
	13.04.2023 आज यह प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थीगण ने दावा के साथ पेश किया। दावा व प्रा.पत्र को साथ–साथ पढ़ा गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस वकील प्रार्थी व प्रा. पत्र के संलग्न दस्तावेजात एवं शपथ पत्र प्रार्थीगण से प्रार्थी का पृथम दृष्टया मामला प्रतित होता है, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे है। तथा नापूर्ति क्षति होने का अन्देशा भी प्रार्थी को ही है। अतः अप्रार्थीगण को जरिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 15.05.2023 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि वे आ.ख.नं. हाल 752/0.53 वाके ग्राम जोनाचया कलां तह0 नीमराना की आराजी मुतनाजा को दिगर जगह रहन बय हिबा व अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल ना करे ना ही प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग करने मे दिगर व्यक्तियों के माध्यम से दिक्कत बाजी पैदा ना करे ना ही कच्च पक्का निर्माण कार्य करे एंव ना ही कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत पैदा करे। मौका व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाए रखे। तथा क्यौना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई करदी जावे जो भी इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो आप स्वंय अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करे। वकील प्रार्थी इस अमर का टी0आई0 तलबाना रजिस्ट्रड ए0डी0 पेश करे। आदेश 39 नियम 03 जा.दी. की पालना हो। तीन दिवस में पालना न किये जाने पर टी0आई0 आदेश स्वत ही अपास्त माना जावेगा। अप्रार्थीगण जरिए रजिस्ट्रर्ड ए0डी0 तलब होकर पत्रावली दिनांक 15.05.2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर)	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स

तारीख हुक्म	
19-3-24	आज यह पत्रावली पेश हुई .....प्रार्थी..... के वकील उपस्थित है .....तारीख..... को समय चाहते है। पत्रावली वास्ते .....और तारीख..... दिनांक 16-5-24 को पेश हो। उप जिला कलेक्टर, नीमराना (अलवर)
16-5-24	आज यह पत्रावली पेश हुई। बार संघ नीमराना द्वारा कार्य स्थगन किये जाने का ज्ञापन पेश किया है। पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनॉक 30-10-24 को पेश हो। रीडर
30-10-24	आज यह पत्रावली पेश हुई। बार संघ नीमराना द्वारा कार्य स्थगन किये जाने का ज्ञापन पेश किया है। पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनॉक 25-11-24 को पेश हो। रीडर
25/11/24	आज यह पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। पत्रावली में वाद पत्र अदम पैरवी में अदम हाजरी में खारिज किया जाता है अतः प्रार्थना-पत्र 212 को भी अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। वाद खारिज मिसल वाद संलग्न रहे। उपखण्ड अधिकारी नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)